

## सरोगेसी कानून

### प्रलिस के लयि:

सरोगेसी कानून, [सरोगेसी \(वनियिमन\) अधनियिम 2021](#), परोपकारी सरोगेसी, वाणजियकि सरोगेसी, [संवधान का अनुच्छेद 21](#) ।

### मेन्स के लयि:

सरोगेसी कानून तथा संबद्ध चुनौतयिँ, तंत्र, कानून, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लयि गठति संस्थाएँ एवं नकिय ।

### [स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में दलिली उच्च न्यायालय ने [सरोगेसी \(वनियिमन\) अधनियिम, 2021](#) के तहत सरोगेसी का लाभ उठाने वाली महिलाओं की पात्रता के साथ उनकी वैवाहकि स्थति के संबंध पर सवाल उठाय है ।

- याचिकाकर्त्ता ने **सरोगेसी अधनियिम की धारा 2(1)(s) को चुनौती दी**, जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच भारतीय वधियाओं या तलाकशुदा महिलाओं के सरोगेसी का लाभ उठाने के अधिकार को सीमति करती है ।
- याचिकाकर्त्ता की याचिका में उस नयिम को भी चुनौती दी गई है जो एकल महिला (वधिया या तलाकशुदा) को **सरोगेसी के लयि स्वयं के डम्ब/अण्डाणु का उपयोग करने** के लयि मज़बूर करता है । कई मामलों में महिला की उम्र अधिक होती है, इस स्थति में उसके स्वयं के युग्मकों का उपयोग चकितिसकीय रूप से अनुचति है तथा वह **मादा युग्मकों के लयि एक दाता की तलाश करती है** ।

## सरोगेसी:

- **परचिय:**
  - सरोगेसी एक **ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट)** कसिी अन्य व्यक्तिया जोड़े (इच्छति माता-पति) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लयि सहमत होती है ।
  - सरोगेट, **जसिे कभी-कभी गर्भकालीन वाहक** भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो कसिी अन्य व्यक्तिया जोड़े (इच्छति माता-पति) के लयि गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है ।
- **परोपकारी सरोगेसी:**
  - इसमें गर्भावस्था के दौरान चकितिसा व्यय और बीमा कवरेज़ के अतरिकित सरोगेट माँ के लयि कसिी मौद्रकि मुआवज़े को शामिल नहीं कयिा गया है ।
- **वाणजियकि सरोगेसी:**
  - इसमें बुनयिादी चकितिसा व्यय और बीमा कवरेज़ से अधिक मौद्रकि लाभ या इनाम (नकद या वस्तु के रूप में) के लयि की गई सरोगेसी या उससे संबंधति प्रक्रयिएँ शामिल हैं ।

## सरोगेसी (वनियिमन) अधनियिम, 2021:

- **प्रावधान:**
  - **सरोगेसी (वनियिमन) अधनियिम, 2021** के अनुसार, 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की वधिया या तलाकशुदा महिला तथा **कानूनी रूप से ववाहित महिला** और पुरुष के रूप में परभाषति युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं ।
    - सरोगेसी के लयि **इच्छति जोड़ा कानूनी रूप से ववाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा**, पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25-50 वर्ष के बीच होगी और उनका पहले से कोई जैवकि, गोद लयिा हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होगा ।
  - यह **व्यावसायकि सरोगेसी** पर भी प्रतबिंध लगाता है, जसिके लयि 10 वर्ष का काराग्रह और 10 लाख रुपए तक का जुरमाना हो सकता

है।

- कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है, साथ ही सरोगेट माँ का/की आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई सम्बन्ध/ जान-पहचान होनी चाहिये।

#### ■ चुनौतियाँ:

- **सरोगेट और बच्चे का शोषण:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतर्बिध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी नरिणय लेने की स्वायत्तता और मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिये और बच्चे के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। हालाँकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में वफिल रहे हैं।
- **पतिव्रततात्मक मानदंडों की सुदृढता:** यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पतिव्रततात्मक मानदंडों को सुदृढ करता है जो महिलाओं के कार्य को कोई आर्थिक मूल्य नहीं देते हैं और **संवधान के अनुच्छेद 21** के तहत प्रजनन के लिये **महिलाओं के मौलिक अधिकारों** को प्रत्यक्ष रूप से **प्रभावित करते हैं**।
- **भावनात्मक जटिलताएँ:** परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त अथवा रश्तेदार न केवल भावी माता-पिता के लिये बल्कि सरोगेट बच्चे के लिये भी भावनात्मक जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रश्ते को लेकर समस्याएँ हो सकती हैं।
  - परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपति के लिये सरोगेट माँ चुनने के विकल्प को भी सीमिति कर देती है क्योंकि बहुत ही सीमिति रश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार होंगे।
- **तीसरे पक्ष की भागीदारी न होना:** परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि **इच्छति युगल** सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चकितिसा और अन्य विधि **खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा**।
  - कुल मिलाकर, एक तीसरा पक्ष इच्छति युगल और सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया से गुज़रने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता है।
- **सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित कुछ शर्तें:**
  - सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये अवविहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लवि-इन पार्टनर्स और समान-लगि वाले युग्मों को बाहर रखा गया है।
  - **यह वैवाहिक स्थिति** लगि एवं यौन रुज़ान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करता है।

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये बदलाव:

- मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने **प्रदाता युग्मों के उपयोग पर प्रतर्बिध** लगाते हुए कानून में संशोधन किया।
  - इसमें कहा गया है कि "इच्छुक जोड़ों" को सरोगेसी के लिये अपने स्वयं के युग्मों का उपयोग करना होगा।
- इस संशोधन को **महिला के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती** देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
- न्यायालय के अनुसार, **शशि का माता या पिता से आनुवंशिक संबंध होना चाहिये**।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून "महिला-केंद्रित" है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शशि को जन्म देने का नरिणय महिला की चकितिसीय या जन्मजात स्थतिके कारण **माँ बनने में असमर्थता पर आधारित** है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब **सरोगेसी नयिमाँ का नयिम 14(a)** लागू होता है, जो **चकितिसा या जन्मजात स्थतियों** को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को **गर्भकालीन/जेस्टेशनल सरोगेसी** का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छति जोड़े, विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिये।
  - **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला **दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिये एक बच्चे को जन्म देती है**। इसमें सरोगेट मद्र बच्चे की बायोलाजिकल माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर/प्रदाता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट-ट्यूब के तहत नरिचन कराने के बाद इसे सरोगेट मद्र के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिये सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम, 2021 के नयिम 7 को प्रतर्बिधित किया है जो **मेयर-रोकितिसकी-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिड्रोम** (एक असामान्य जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डमिब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के करयानवयन की अनुमति दी जा सके।
  - सरोगेसी अधिनियम का नयिम 7 प्रक्रिया के लिये प्रदाता डमिब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतर्बिध लगाता है।

## आगे की राह

- समावेशिता, नैतिकता और चकितिसा प्रगतपर ध्यान केंद्रित करके भारत **सरोगेसी के लिये एक ऐसा मज़बूत कानूनी ढाँचा स्थापित** कर सकता है जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, इसमें शामिल सभी पक्षों की भलाई सुनिश्चित करता है तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवार शुरू करने के इच्छुक लोगों का समर्थन करता है।

